an>

Title: Need to take steps to provide benefits of loan waiving to farmers.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अति गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे बुंदेलखंड में किसान इस समय बहुत ही परेशान एवं आक्रोशित हैं। पूर्व की केन्द्र सरकार की राहत राशि तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1लाख रुपये की कर्ज़ माफी योजना का लाभ बुंदेलखंड के अधिकतर किसानों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही कम पैदावार होने के कारण वहाँ सन् 1971 की राजस्व संहिता में एक नियम बनाया गया था कि वहाँ की ढाई गुना ज़मीन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बराबर मानी जाएगी। वहाँ जो लघु और सीमांत की गणना की जाती है, वह पूरे प्रदेश के बराबर की जा रही है, जबकि उनकी राजस्व संहिता के अनुसार ढाई गुना ज्यादा ज़मीन में उनकी गणना की जानी चाहिए। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं में वहाँ के लघु और सीमांत किसानों को ढाई गुना ज्यादा, यानी ढाई हैक्टेयर और पाँच हैक्टेयर तक के लोगों को लघु और सीमांत माना जाए।

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।